

## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

### OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT NAINITAL (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **NAINITAL** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr....., I.A.S deputy commissioner, NAINITAL on dated 11.04.18 at time 4:00 PM at ..... in which application claiming rights in NAINITAL /area measuring 3.555 hect for the **CNSTRUCTION OF KIMUPANI-THANDAV TO SAIMDHAR AT SAIM MANDIR MOTAR ROAD** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of NAINITAL sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.....

Dated:.....

  
Deputy Commissioner-cum-  
Chairman District Level Committe

## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector nainital

No---

Dated-----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.555** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D NAINITAL** (name of user agency) for **CONSTRUCTION OF KIMUPANI-THANDAV TO SAIMDHAR AT SAIM MANDIR MOTAR ROAD** (purpose for diversion of forest land) in **NAINITAL** district falls within jurisdiction of **HALLI AND SAKUNA** village (s) in **NAINITAL** tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.555** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure 5
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involvel rcognised rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Eucl:As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)



## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, नैनीताल

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग हेतु (..... हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.819 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 2.736 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.555 हे0 वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक 10/10/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |      |              |                           |               |              |
|----|------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1- | श्री | प्रमोद कुमार | उपजिलाधिकारी              | कोश्या कुटोबी | अध्यक्ष      |
| 2- | श्री |              | उप प्रभागीय वनाधिकारी     |               | सदस्य        |
| 3- | श्री | मुहम्मद चौध  | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | कोश्या कुटोबी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री | रघुश्री सिंह | बी0डी0सी0 क्षेत्र         | कोश्या कुटोबी | सदस्य        |

वि.ख.- रामगढ़ ( नैनीताल )

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक परियोजना हेतु 3.555 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, 3.555 हे0 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक परियोजना के निर्माण हेतु 3.555 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—  
जनपद—

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—  
जनपद—



## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- झूतिया  
तहसील कोशमंडोली जिला नैनीताल ।

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग हेतु (.....झूतिया..... हे 0 आरक्षित वन भूमि, .....0.819..... हे 0 सिविल सोयम भूमि, .....2.736..... हे 0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात् कुल .....3.555..... हे 0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम.....हली, पिछलाना.....द्वारा दिनांक.....09/10/2017.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....हली, पिछलाना.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि .....3.555 ई०..... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह 0 / -  
ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत मुखर सहित अधिकारी  
ग्राम पंचायत...झूतिया....  
नकाश खण्ड, रामगढ़ (नैनीताल)

रामगढ़  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
\* झूतिया  
वि.ख.- रामगढ़ (नैनीताल)

थानदेवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत झूतिया  
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)  
ह 0 / -  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुखर सहित

## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी 0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

दिनांक 09/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- झूतिया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे	
02	श्री विष्णुधन पाण्डे	विष्णुधन पाण्डे
03	श्री गणेश चन्द्र पाण्डे	गणेश चन्द्र पाण्डे
04	श्री राज चन्द्र पाण्डे	रज चन्द्र पाण्डे
05	श्री पानदेव पाण्डे	पानदेव पाण्डे
06	श्री गोविन्द वल्लभ	G.B. Vally
07	श्री सुबोध चन्द्र पाण्डे	सुबोध पाण्डे
08	श्री गणेश चन्द्र दुर्गा पाण्डे	
09	श्री राम पाण्डे	राम पाण्डे
10	श्री प्रमोद पाण्डे	प्रमोद पाण्डे
11	श्री जगन्नाथ पाण्डे	जगन्नाथ पाण्डे
12	श्री विष्णु चन्द्र दुर्गा पाण्डे	
13	श्री चतुर्वल्लभ दुर्गा पाण्डे	चतुर्वल्लभ
14	श्री देवेंद्र सिंह विष्ट	
15	श्री सुभाष सिंह विष्ट	सुभाष सिंह
16	श्री गणेश सिंह विष्ट	गणेश सिंह
17	श्री विक्रम सिंह विष्ट	विक्रम सिंह
18	श्री मदन सिंह विष्ट	मदन सिंह
19	श्री राज सिंह विष्ट	राज सिंह
20	श्री विष्णु पाण्डे विष्ट	विष्णु पाण्डे
21	श्री देवेंद्र सिंह	देवेंद्र सिंह
22	श्री राम सिंह	राम सिंह
23	श्री राज पाण्डे	राज पाण्डे
24	श्री हरक सिंह	हरक सिंह
25	श्री गणेश पाण्डे	गणेश पाण्डे
26	श्री विष्णु पाण्डे	

स्वदेश चन्द्र पाण्डे  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
झूतिया  
वि.सं.- रामगढ़ ( नैनीताल )

ग्राम पंचायत झूतिया  
ह0/—  
नैनीताल (उत्तराखण्ड)  
ग्राम प्रधान